



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

क्र. 639

दिनांक 30/6/2020

//आदेश//

सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम अगरिया चौपडा, जिला रायसेन में शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से प्रारंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की सूची -

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग की 158वीं सभा दिनांक 30/06/2020 के एजेण्डा क्रमांक (158)-3 में किये गये अनुमोदन के अनुक्रम में सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन को शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को उनके मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों एवं संघटक इकाईयों में संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

### New Proposed Courses.

S.No.	Name of the course	Intake Capacity	Ordinance No.
1.	BBA	180	21
2.	PGDM	180	30
3.	BHMCT	120	45
4.	B.COM (PLAIN), (CA), (H)	60 each	20
5.	M.COM	60	38
6.	Ph. D (MANAGEMENT & COMMERCE)	—	61
7.	M.A (EDUCATION)	30	37
8.	Ph. D (EDUCATION)	—	61
9.	B.SC / B.Sc. (H)	240	16
10.	B.SC (CS), (IT)	60 each	16
11.	BCA	120	62
12.	M.SC (CS/IT)	30 EACH	35
13.	M.SC (CHE/PHY/MATHS/BOT/ZOO/STAT/FOREN.SC/BIO-TEC)	30 EACH	35
14.	Ph. D (SCIENCE)/IT	—	61
15.	B.A./ B. A. (H)	180	17
16.	M.A. (HINDI/ENGLISH/HISTORY/POL.SC/GEO/ECO/SANS/PSY/SOCIOLOGY)	30 EACH	37
17.	M.S.W.	30	37
18.	Ph. D (ARTS)	—	61
19.	DIPLOMA (AGRICULTURE)	60	51
20.	B. Sc (Hon.) AGRICULTURE	180	13
21.	M. Sc (HORTICULTURE/ AGRONOMY/ SOIL SCIENCE/ FORESTRY)	30 EACH	33
22.	Ph. D (AGRICULTURE)	—	61
23.	B.A. (J.M.C.)	60	43
24.	M.A. (J.M.C.)	30	44
25.	Ph. D (JOURNALISM)	—	61
26.	B. DESIGN	180	12
27.	M. Tech(Data Science), (Machine Learning), (Artificial Intelligence )	18 each	31
28.	Ph. D (Engineering and Technology)	—	61
29.	B.LIB	60	55
30.	M.LIB	60	56
31.	Ph. D (Lib. Science)	—	61
32.	B. Tech CS/EC/ME/CIVIL	60 Each	12
33.	Vocational Courses	—	29

निरंतर-2

सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम अगरिया चौपडा, जिला रायसेन में शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से प्रारंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की सूची -

**Details of Existing Courses**

S. No	Name of the course	Intake Capacity	Ordinance No.
1.	BACHELOR OF AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY (BAMS)	60	28
2.	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)	180	36
3.	BACHELOR IN PHARMACY (B. PHARM)	100	15
4.	DIPLOMA IN PHARMACY (D. PHARM)	60	14
5.	BACHELOR IN EDUCATION (B.ED)	100	19
6.	BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING (B.SC NRSING)	30	25
7.	POST BASIC (B.SC) NURSING	30	48
8.	BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (BMLT)	50	52
9.	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (DMLT)	50	53
10.	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (BPT)	50	54
11.	DIPLOMA IN YOGA	50	29
12.	X-RAY TECHNICIAN	50	29

**शर्तें :-**

- विभिन्न विनियामक परिषदों जैसे (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली, मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल, कार्यालय रजिस्टार मध्यप्रदेश सहचिकित्सा परिषद, भोपाल) से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश विभिन्न विनियामक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित गाईडलाइन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक से प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी. में) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीरता न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक... 6.4.0... म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल

दिनांक 30/06/2020

प्रतिलिपि:- 1. कुलसचिव, सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम अगरिया चौपडा, जिला रायसेन (म.प्र.)।

2. आई.टी.सेल की ओर इस निर्देश के साथ कि कृपया इस आदेश को आयोग की वेबसाईट mpnwa. in पर अपलोड करें।

3. अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग को सूचनार्थ।

सचिव

सचिव